नगर परिषद, मसौढ़ी (पशु मांस, मछली या कुक्कुट बिकय) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–345 अन्तर्गत)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–129 (ग) (सहपठित धारा 345 एवं 421) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद, मसौढ़ी ने अपने प्रस्ताव संख्या 45 दिनांक–31.08.2013 के द्वारा इस विनियम को विनियमित किया है, ताकि मानव खादय के लिए व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयात कर्ता के व्यवसाय को नियमित किया जा सके।

1. व्यपारी की शर्त :–

नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उसके अनुरूप से अन्यथा मानव खादय के लिए आयातित व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयातकर्ता को कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा और न मानव खाद्य के आयातित पशु मांस, मछली या कुक्कुट की बिकी हेतु किसी स्थान का उपयोग करेगा।

2. पशु मांस, मछली या कुक्कुट के बिकी के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र :–

जैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय हेतु विनिश्चय किया जायेगा यह सर्वप्रथम इस विनियम के अनुसूची में उल्लेखित आवेदन पत्र मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पास में प्रस्तुत करेगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय में हो तो वह तो इस विनियम के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि में निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन जमा करेगा तथा इसमें असफल होने पर पकड़े जाने पर प्रत्येक बार 2000/- (दो हजार रूपया) अर्थदंड के साथ जब्ती (Seizure) की कार्रवाई की जायगी।

3. प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई :–

पटना नगर निगम के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र को अनुज्ञप्ति निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत कार्मिक को सौपेंगें, जो स्थल निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन मूल आवेदन के साथ नगर परिषद, मसौढ़ी के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उनके द्वारा या प्राधिककृत पदाधिकारी को समर्पित करेगा।

4. आवेदन पत्र का निस्तार :–

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अनुज्ञप्ति निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर विचार करेंगे तथा अंतिम निर्णय लेगें। परन्तु आवेदन पत्र रद्द किये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द करने का कारण अभिलिखित कर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

5. अनुज्ञप्ति का निर्गम :–

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस विनियम के अनुसूची–2 में उल्लिखित प्रपत्र में अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति पर निगम की मोहर तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

6. अनुज्ञप्ति शुल्क :–

अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व आवेदक को अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में 2500/- (दो हजार पाँच सौ) रू० जमा करना होगा, जिसके लिए आवेदक को नगर परिषद, मसौढ़ी द्वारा पावती रसीद दी जायेगी। यदि यह शूल्क वार्षिक होगी तथा अनुज्ञप्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व होने के उपरांत देय होगी।

7. अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना।

अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त, आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अस्वीकृति का कारण जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित क्रिया गया हो को एक माह के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण :–

इस विनियम के अनुसूची–1 में उल्लेखित आवेदन पत्र ससमय वार्षिक शुल्क 2500/- (दो हजार पाँच सौ) रू० के साथ प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की जायेगी। विलम्ब की स्थिति में आवेदक को वार्षिक शुल्क के साथ 300/- (तीन सौ) रू० प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना पड़ेगा। किन्तु अनुज्ञाप्ति की अन्तिम तिथि के बाद तीन माह तक ही विलम्ब शुल्क लेकर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में तीन माह के बाद अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जायेगा, व्यवसाय परिसर को निगम द्वारा बंद कर दिया जायेगा और दंड सहित बकाया वसुली की प्रक्रिया नगर परिषद, मसौढ़ी "कर एवं गैर–कर वसूली एवं संग्रहण विनियम 2013" के प्रावधानों के अध्यधीन की जायेगी।

9. अनुज्ञप्ति की शर्त एवं बन्धेज :–

(9.1) वायुरूद्ध या वायुरूद्धपूर्वक सीलबंद पात्र/गोदाम में रखें परिरक्षित पशु मांस या मछली की बिक्री या बिक्रय भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।

(9.2) अनुज्ञप्ति की शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञाप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या

संपति के खतरा के विरुद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपशमन के लिए सभी या ऐसा कोई कारवाई करे जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो।

(9.3) अनुज्ञाति को निश्चित रूप से अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि से एक माह पूर्व नवीनीकृत करा लेना होगा।

(9.4) इस विनियम में वर्णित व्यवसाय हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी अनुज्ञप्त परिसरों को साफ सुथरा रखा जायेगा ताकि यह मानवीय स्वास्थ्य हितों के विरुद्ध नहीं हो।

(9.5) वर्णित किसी भी व्यवसाय का अवशेष, कूड़ा करकट या ऐसा पदार्थ जो हानिकारक दुर्गन्ध फैलाता हो, को प्रतिदिन परिसर से हटाया जायेगा तथा तथा ऐसे स्थान पर जमा किया जायेगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।

(9.6) बिक्री हेतु पुश मांस को आवरण के पीछे रखना होगा।

(9.7) पशु मांस, मछली एवं कुरकुट की बिक्री खुले में नहीं की जानी है। ऐसे दुकानों में कंक्रीट/टीन/एक रेस्टस/मेटल सीट का छत होना आवश्यक है।

(9.8) पशु मांस, मछली एवं कुरकुट की बिक्री एक पक्के के चबुरते में करना होगा। चबुरते के उपर टाईल्स/मार्बल लगा होना चाहिए।

(9.9) बिक्रेता को स्टेनलेश स्टील का ठक्कन वाला डस्टबिन का प्रयोग करना होगा।

(9.10) बिक्रय वाले स्थल में प्रकाश एवं मेटीलेशन की व्यवस्था होना आवश्यक है।

10. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरण :–

निम्नांकित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दी जायेगी :–

(i) व्यवसाय परिसर या उसके अगल–बगल अस्वच्छता की स्थिति में,

(ii) व्यापारी द्वारा किया जा रहा कोई खतरनाक कृत जो अन्य लोगों के लिए परिसंकटमय हो,

(iii) एक पशु का वध दूसरे के सामने करने की कुरता दिखायी गई हो

(iv) कोई ऐसा कृत, जो पर्यावरण प्रदूषण कारक हो

(v) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी ने गलत अनुज्ञप्ति जारी की हो जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, की धारा 338 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(vi) किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर वाणिज्यक परिसर बंद कर दिया जाएगा।

(vii) यदि लाईसेन्सींग पदाधिकारी की दृष्टि में गैर आवासीय परिसर या वाणिज्य से जनसाधारण के सामान्य स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता होगा, यातायात में बाधा पहुँचती हो तो उस अनुज्ञप्ति को निलंबित/ रद्द किया जा सकता है।

(viii) नियम 9.0 में उल्लेखित शर्तों के उल्लंधन की स्थिति में भी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

11. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन :–

अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को व्यवसाय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहाँ परिसर में आनेवाले सभी दर्शकों की दृष्टि आसानी से जा सके।

12. व्यवसाय परिसर का निरीक्षण :–

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगर परिषद, कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य या विशेष अधिनस्थ किसी पदाधिकारी को व्यवसाय परिसर के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते है।इसके अतिरिक्त सफाई निरीक्षक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय–समय पर व्यवसाय परिसर का समय–समय पर निरीक्षक कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी उसी श्रेणी का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी अनुज्ञप्ति निर्गत है या नगर परिषद, मसौढ़ी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही श्रेणी बदल दी गयी है या अनुज्ञप्ति की सभी शर्तो का पालन किया जा रहा है। किसी अनियमितता या अनुपालन नहीं होने पर कारण पृच्छा का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा सकेगा।

13. कठिनाईयों का निराकरण :–

यदि इस विनियम के लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो उस मामलें में इस विनियम के उपबंधों के संगत कठिनाई के निराकरण के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्थिति के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।